जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सीतापुर (उ0प्र0)

भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा

(क) जो एक जुलाई, 1968 से पहले सेवामुक्त हुये है– कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी रैंक में संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की हो और जिनको सेवा मुक्त किया गया हो इसमें शामिल किया गया है।

(ख) जो एक जुलाई, 1968 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 1979 से पहले सेवा मुक्त हुये हो– कोई भी व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक मे साक्ष्यांकन के बाद कम से कम छः माह की लगातार सेवा की हो ।

(ग) जो एक जुलाई 1979 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 1987 से पहले सेवामुक्त हुये हों– कोई भी व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक मे साक्ष्यांकन के बाद कम से कम छः माह की सेवा की हो (यदि उन्हें स्वयं के अनुरोध पर अथवा अयोग्यता या दुराचरण के आधार पर नही बल्कि किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो) और यदि स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त किया गया हो तो सेवा अवधि 5 वर्ष से कम न रही हो।

(घ) जो 01 जुलाई 87 या उसके बाद सेवामुक्त हुये हों कोई भी व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं मे किसी भी रैंक सेवा की हो और अपने अनुरोध पर या अयोग्यता अथवा दुराचरण के आधार पर नही बल्कि किसी अन्य कारण से रक्षा बजट से किसी भी प्रकार के पेंशन के साथ सेवामुक्त/सेवानिवृत्त हुआ हो अपनी निर्दिष्ट कार्यावधि पूर्ण होने पर, ग्रेच्युटि के साथ सेवामुक्त हुआ हो।

(ड) इसके साथ–साथ प्रादेशिक सेना के विभिन्न श्रेणी के कार्मिक जैसे सतत् अंगीभूत सेवा के पेंशन धारक, सैनिक सेवा के कारण अपंग हुये व्यक्ति और 15 नवम्बर 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुये वीरता पुरस्कार विजेता।

(च) सेना डाक सेवा (ए.पी.एस.) के वे कार्मिक जो नियमित सेना का अंग है और ऐसी सेवा से सीधे सेवानिवृत्त हुये है। इसके साथ ही डाक एवं तार विभाग से सेना डाक सेवा मे प्रतिनियुक्ति पर आएं एवं प्रत्यावर्तन हुये बिना सीधे ही सेना डाक सेवा से पेंशन सहित या सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा के आधार पर या उनके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों वश एवं मेडिकल या अन्य अपंगताओं के कारण पेंशन प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुये हो, कार्मिक भी भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा के अन्तर्गत आते है।

सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नही आते हैः–

(क) जो सैन्य कार्मिक बर्खास्तगी या दुराचार या आयोग्यता के कारण निकाले गये हैं, वे भूतपूर्व सैनिक नही है।

(ख) करार की अवधि को पूरा करने से पूर्व अपने अनुरोध पर सेवामुक्ति लेने वाले, सैन्य–कार्मिक भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नही आते।

टिप्पणीः– किसी भी व्यक्ति पर भू.पू. सैनिक की वह परिभाषा लागू होगी, जो उसके सेना से सेवामुक्त होते समय लागू रही हो। इसके बाद में नियमों में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रभाव उस पर नही पड़ेगा।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सीतापुर (उ0प्र0)

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाये

1 ऑयल प्रोडक्ट एजेन्सी में सैन्य सेवाओं हेतु 8 प्रतिशत कोटे का अवंटन :–

भारत सरकार पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के पत्र सं.– पी.39012/1/1999– आईओसी दिनांक 09 अक्टूबर 2000 के अन्तर्गत 8 प्रतिशत ऑयल प्रोडक्ट एजेन्सी आवंटन (एल.पी.जी. एवं पेट्रोल पम्प) में निम्नलिखित श्रेणी के सैनिकों हेतु 1 से 5 तक की प्राथमिकता दी हैः–

प्राथमिकता 1– मरणोपरान्त वीरता पुरस्कार प्राप्त विधवा/आश्रित
प्राथमिकता 2– युद्ध विधवा/आश्रित
प्राथमिकता 3– युद्ध अपंग (जिसकी अपंगता 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो)
प्राथमिकता 4– सैन्य सेवा में रहते हुये सैन्य के कारण मारे गये सैनिकों की विधवा/आश्रित
प्राथमिकता 5– सैन्य सेवा में रहते हुये अपंग हुये सैनिक जिसकी अपंगता 20 प्रतिशत या अधिक हो।

पात्रताये :

(क) राष्ट्रीयता– भारतीय
(ख) प्रार्थनापत्र के समय आयु विधवा 21 से 60 वर्ष आश्रित पुत्र/अविवाहित पुत्री 21 से 30 वर्ष, अविवाहित होने की दशा मे माता–पिता की आयु 60 वर्ष से ज़्यादा न हो। आश्रित भाई/अविवाहित बहन की आयु 21 से 30 वर्ष।
(ग) शैक्षिक योग्यताः हाई स्कूल या सैन्य सेवा के उसके समकक्ष योग्यता
(घ) आयः रू0 2 लाख प्रति वर्ष से कम।

फार्म : 8 प्रतिशत डिफैन्स कोटा एजेन्सी का विज्ञापन सम्बन्धित आयल एजेन्सियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जात है। जिसका प्रपत्र सम्बन्धित आयल एजेन्सी के डिवीजनल/रीजनल/एरिया अधिकारी को रू0 1000/– के भुगतान से प्राप्त किया जाता है।

2– टिप्पर स्कीम योजनाः

(1) यह स्कीम विधवा/विकलांग/आश्रितों के लिये है।
(2) पात्रता हेतु शर्ते :–
(क) सैनिक की मौत सर्विस के दौरान हुयी हो।
(ख) विकलांग भू.पू. सैनिक हेतु।
(ग) पुत्र 25 साल से कम तथा पुत्री अविवाहित हो।
(3) एक टिप्पर भू.पू. सैनिक कोयला ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को प्रायोजित।

(4) नियम व शर्ते :–

(अ) लोन प्रोसेसिंग फीस, बीमा, रोड टैक्स, मार्जिन मनी जो कि टिप्पर स्कीम खरीददार के द्वारा वहन की जायेगी (लगभग रूपया 85,000/–)
(ब) भूतपूर्व सैनिक कम्पनी, टिप्पर को चालू रखने, रखरखाव एवं लोन क अदाएगी की जिम्मेदारी होगी।
(स) आवेदक को 3000/– रू0 प्रतिमाह पॉच साल तक मिलेगा (ब्याज दर लगभग 42 प्रतिशत)
(द) पॉच वर्ष के बाद आवेदक को शुरूवात में जमा किया गया रूपये 85,000/– वापस मिल जायेगा।
(च) कम्पनी टिप्पर को अधिग्रहीत कर लेगी।

कमशः पेंज 2 पर देखे

5 इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन एवं प्रयोजन महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेन्ट नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

4. पूर्व सैनिकों हेतु पुनर्वास प्रशिक्षण स्कीम

महानिदेशालय पुनर्वास, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, डायरेक्ट्रेट जनरल रिसेटिलमेन्ट, वेस्ट ब्लाक–4, आर.के. पूरम् नई दिल्ली के द्वारा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास प्रशिक्षण हेतु बजट वहन किया जाता है।

प्रशिक्षण हेतु पात्रता :–

(1) भूतपूर्व सैनिक जिन्हे सेना से अवकाश प्राप्त किये पॉच वर्ष से अधिक न हुआ हो, तथा सेना मे कार्यरत रहते हुये डी.जी.आर. द्वारा आयोजित कोई पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।

(2) सेना में सेवाकाल के दौरान यदि सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पॉच साल के अन्दर उसकी पत्नी प्रशिक्षण पाने की पात्र है। किन्तु यह आवश्यक है कि सैनिक की मृत्यु के पश्चात् पत्नी ने दूसरी शादी न की हो। यदि किसी कारण वश पत्नी प्रशिक्षण नहीं लेना चाहती है तो उसके एक पुत्र/पुत्री को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा सकता है बशर्ते पुत्र/पुत्री की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सीतापुर (उ0प्र0)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्तमान में राज्य सरकार के बजट से भू.पू. सैनिकों के आश्रितों के लिये निम्नलिखित दो निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है–

(1) इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी प्रशिक्षण– इसके अन्तर्गत भू.पू. सैनिकों को कम्प्यूटर का 480 घंटे की अवधि का प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से दिलाया जाता है।

(2) एस.एस.बी. कोचिंग– इसके अन्तर्गत भू.पू. सैनिकों के बच्चों को सेना में अधिकारी पद पर चयन हेतु एस.एस.बी. साक्षात्कार हेतु तैयारी करने के लिये एक माह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण

भू.पू. सैनिकों का पंजीकरण संबन्धित जिले के जिला सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय (सोल्जर्स बोर्ड) में किया जाता है तथा उन्हें एक परिचय पत्र जारी किया जाता है जिसके आधार पर उन्हें भूतपूर्व सैनिक के रूप में अनुमन्य विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। पंजीकरण तथा परिचय पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यता होती हैः–

1 सैन्य सेवा पुस्तिका (डिस्चार्ज बुक)
2 पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)
3 स्वयं के तीन फोटो

3 वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदानः

उत्तर प्रदेष में रहने वाले जल, थल, वायु सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी अनुदान एवं भूमि के स्थान पर नकद धनराशि दी जाती है।

कम सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी की राशि 30 वर्षो तक
1.	परमवीर चक्र	25,00,000	1,50,000
2.	महावीर चक्र	15,00,000	1,14,000
3.	वीर चक्र	10,00,000	66,000
4.	अशोक चक्र	25,00,000	1,20,000
5.	कीर्ति चक्र	15,00,000	1,00,000
6.	शौर्य चक्र	10,00,000	30,000
7.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,50,000	6,000
8.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,25,000	5,000
9.	युद्ध सेवा मेडल	40,000	4,000
10.	सेना, नौ सेना तथा वायु सेना मेडल	30,000	4,800
11.	मेंशन इन डिस्पैच	25,000	3,000

क्रमशः पेंज 2 पर देखे

प्राधिकारः— शासनादेश संख्या—2224/48—83—19(7)/1972 दिनांक 30 अगस्त 1983 वा 1531/48—90—19(7)/72 टी.सी.—।।। दिनांक 07 अगस्त, 1990, 2162/48—92—19(7) टी.सी.।।। दिनांक 7 नवम्बर 1992 तथा सं. 1009/48—2008—113 (वि.)/2004 दिनांक 20 सितम्बर 2008 एवं 2028(1)/तीन—2008—5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008

4. विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

क्रम सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी 30 वर्षो तक
1.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	15,000/—	400/—
2.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	7,000/—	300/—
3.	विशिष्ट सेवा मेडल	3,000/—	200/—

प्राधिकार :— शासनादेश संख्या— 471/48—92(7)/72 टी.सी.।।। दिनांक 18 दिसम्बर 1992

5 वर्ष 1962 एवं 1965 के युद्धो में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/अपंगों को आवासीय सहायता— वर्ष 1962 एवं 1965 के युद्धो में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को रू0 5000/— प्रति पात्र की दर से एक मुश्त आवासीय अनुदान देय है।

प्राधिकार :— शासनादेश संख्या— 2481/48/81—12—2 (8)/74 दिनांक 27 नवम्बर 1981.

6. वीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता

उ0प्र0 सरकार ने भारत—पाक युद्ध 1971 आपरेशन 'पवन' (श्रीलंका), आपरेशन 'मेघदूत' (सियाचिन) में शहीद हुये प्रदेश में रहने वाले भारतीय सेना के सैनिकों की विधवाओं/परिवारों तथा अपंग हुये ऐसे सैनिकों को जो अपंगता के आधार पर सेवामुक्त हो गये है, क्रमशः रू0 15,000.00 तथा रू0 10,000.00 प्रति पात्र की दर से विशेष आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया है।

प्राधिकार :— शासनादेश संख्या— 2290/48—88—11—2(23)/87, दिनांक 07 अक्टूबर 1988.

7. द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को पेंशन दी जाती है। समय समय पर इसकी दरें निम्नवत् रही है।

01 अगस्त 1990 से	—	रू. 100/— प्रतिमाह
01 दिसम्बर 1993 से	—	रू. 250/— प्रतिमाह
01 जून 2001 से	—	रू. 500/— प्रतिमाह
01 अप्रैल 2006 से	—	रू. 1,000/— प्रतिमाह
01 अगस्त 2008 से	—	रू. 2,500/— प्रतिमाह

पेंशन प्राप्त करने की पात्रता निम्नवत् है :—

(क) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना में कमी होने कारण सैन्य विघटन (Demobilisation) अथवा युद्ध में भाग लेने के फलस्वरूप शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा मुक्त कर दिये गये हों।

(ख) उ0प्र0 के स्थाई निवासी हों।

(ग) किसी अन्य स्त्रोत से कोई पेंशन प्राप्त न कर रहे हों।

क्रमशः पेंज 3 पर देखे

प्राधिकार :— शासनादेश संख्या— 2504/48—90—23—विविध/87 दिनांक 11 फरवरी 1991, संख्या—2350/48—93—72 (विविध)/93 दिनांक 30 नवम्बर, 1993, संख्या—778/48—200/72(वि)/93 दिनांक 18 जून 2001, संख्या – 1029/49—20 05—72 (वि)—93 93 दिनांक 22 जून 2005 एवं संख्या—790/48—2008—72 (विविध)/93 दिनांक 18 अगस्त 2008

8. भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम सभी की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्राथमिकतायें निम्न लिखित है—

प्राथमिकता

(क) ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेवा करते हुये शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, न्याय पंचायत में रहने वाली भूमिहीन अविवाहित पुत्र/पुत्रियां या उसके भूमिहीन माता—पिता।

(ख) न्याय पंचायत में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुये शत्रु आक्रमण के कारण पूर्णतया निर्योग्य हो गया हो।

(ग) न्याय पंचायत में रहने वाले कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेवा में अधिकारी से भिन्न किसी सेवा से निवृत्त , निर्मुक्त या सेवा मुक्त हो।

प्राधिकार :— उत्तर प्रदेश भूमि—निधि (संशोधन) अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं. 30, 1975) मूल अधिनियम की धारा 198 का संशोधन

9. भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूखण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन में आरक्षण

उ0प्र0 सरकार ने सेवारत कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों तथा मकान के भूखण्ड (प्लाट) आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण स्वीकृत किया है।

प्राधिकार शासनादेश संख्या : 2905/37—2—91—94 एम.बी./91 दिनांक 25.11.1991

10. मेडिकल/इंजीनियरिंग/व्यवसायिक कालेजों, में भूतपूर्व सैनिकों व उनकें पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारें गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिये गये सैनिक भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित शेक्षिक सुविधायें प्राप्त है—

(क) भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और बालकों को बी.एड की कक्षाओं में प्रवेश के लिये अनुग्रहांक दिये जाने का प्राविधान है।

(ख) राज्य के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग (बी.टी.सी.) के लिये स्थानों (सीटों) का आरक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में विकलांग अधिकारियों, इमरजेंसी/शार्ट सर्विस के कमीशन प्राप्त अधिकारियों , भूतपूर्व सैनिकों , सेवारत सुरक्षा कर्मियों उनके पुत्रों, सगे भाइयों, पुत्रियों, सगी बहनों और पत्नी के लिये उ0प्र0 के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में दो वर्षीय बी.टी.सी. पाठ्यक्रम के लिये तीन प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित है। प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए./बी. काम./बी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। जो कार्मिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मध्यमा (विशारद्) परीक्षा उत्तीर्ण है वे बी.टी.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं है।

प्राधिकार : शिक्षा निदेशक उ0प्र0 (शिक्षा सामान्य—3) पत्र संख्या—सा (3)/9179/15—16(4)/83—84, दिनांक 21 मार्च 1984.

क्रमशः पेंज 4 पर देखे

(ग) मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु कम्बाइन्ड प्री मेडिकल टेस्ट (सी.पी.एम.टी.) मे युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के बच्चों के लिये एक प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य है।

प्राधिकारः शासनादेश संख्या– 2154/सैक–14/पाकच–1/87 दिनांक 31 मार्च 1987 तथा 2625/सैक–142 ए / 1987 दिनांक 27 अप्रैल 1987.

(घ) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर (नैनीताल) में विभिन्न डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश हेतु सेवारत रक्षा कर्मिकों भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग सैनिकों के बालकों के लिये एक एक सीट आरक्षित है।

प्राधिकार : गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यिगिकी विश्वविद्यालय पन्त नगर का पत्र सं. आर/एस.ए. /मिसलेनियस/1981/4255 दिनांक 21 दिनांक 21 अक्टूबर 1981.

(ड) राज्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियत्रंणाधीन डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु लड़ाई में मारे गये/अपंग हुये सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये 2 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होना आवश्यक है।

प्राधिकार :– शासनादेश संख्या–4880/टी/18 प्रा.–शि–1331–टी/81 दिनांक 08 मार्च 1982 1924/331 दिनांक 06 मई 1984 तथा 4765/84/1888/83 दिनांक 15 अक्टूबर 1984

(च) प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानो तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानो में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों/इमरजेन्सी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों एवं सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिये प्रदान किया गया है।

प्राधिकारः– शासनादेश सं. 162/36–6–92(टी)/77 दिनांक 31 जनवरी 1978 तथा 1827/36–6–92/77 दिनांक 08 अगस्त 1980

(छ) प्राविधिक शिक्षा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण
प्राधिकार : शासनादेश सं. 1485/ई./18–व दिनांक 02 अगस्त 1977

11. सैनिकों द्वारा किराये पर दिये गये आवास को खाली कराने के लिये विशेष प्राविधान

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 में कार्यरत या सेवा निवृत्त सैनिक अथवा ऐसे सैनिक की विधवा को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिये, किराये पर दिये गये भवन को खाली कराने के लिये, अधिनियम संख्या–17 सन् 1985 द्वारा मुख्य अधिनियम 1972 की धारा 2, 3, 4, 10 व 21 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। संबंधित सैनिक , भूतपूर्व सैनिक उनकी विधवायें इस संशोधित अधिनियम का लाभ, अपना किराये पर दिया हुआ मकान खाली कराने के लिये उठा सकते है।

12. उ0प्र0 दातव्य निधि से भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों को आर्थिक अनुदान

उ.प्र. सरकार सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश सं. 345/48–91–11–5/13/76 दिनांक 22 जुलाई 1992 के अन्तर्गत जारी उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि–नियमावली के अनुसार समस्त शर्तो को पूरा करने वाले उ0प्र0 के समस्त भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रित इस निधि से लाभ प्राप्त कर सकते है। यह निधि अपने लाभार्थियों को विपत्ति में तुरन्त वित्तीय सहायता पहुँचाता है। इसके लिये आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के माध्यम से भेजने पड़ते है। शासनादेश सं. 367/48–08–11–5(13)/76 दिनांक 30.07.08 द्वारा संशोधित दरों के अनुसार इस निधि से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा एक वर्ष में 1000/– तथा जिलाधिकारी द्वारा 2500/– तक आकस्मिक अनुदान दिया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को निधि से एक वर्ष मे एक बार रू0 1000/– आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है।

13. उ.प्र. भूतपूर्व सैनिक विजय निधि (विक्ट्री फण्ड)

इस निधि से निम्नलिखित अवसरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है–

(क) निदेशालय/जिला स्तर पर आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की बैठकों के लिये

(ख) आर्थिक रूप से दीन दुखी भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों को आकस्मिक अनुदान।

क्रमशः पेंज 5 पर देखे

(ग) सैनिक विश्राम गृहों के बाग–बगीचों की देख–रेख हेतु।
(घ) आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की आकस्मिक दुर्घटना से निधन होने पर उसके एक विधिक उत्तराधिकारी को एक मुश्त आर्थिक सहायता।
(च) दैवी आपदा (भूकम्प, अग्निकांड भूस्खलन व बाढ़) से प्रभावित भूतपूर्व सैनिकों के लिये निजी आवासीय घर जिससे वह स्वयं या उसका परिवार निवास करता हो , कि क्षति की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु रू0 10,000/– तक एक मुश्त आर्थिक सहायता।

इस निधि से सहायता हेतु आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से भेजना आवश्यक है।

14. भूतपूर्व सैनिकों हेतु बस परमिट कोटा

भूतपूर्व सैनिक को बस परमिट का कोटा शासकीय अधिसूचना संख्या– 1158 टी/30–4–15 पी/79 दिनांक 25 मार्च 1987 द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को जिनके पास परिवहन की गाड़ियों को चलाने का वैध लाईसेन्स हो, स्वंत्रता संग्राम सेनानी या उनके आश्रितों के साथ 15 प्रतिशत का कोटा अनुमन्य है।

15. उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता

प्रदेश में ग्रामीण क्षेंत्रो में भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से आवंटित की जाती है। शहरी क्षेत्रों में उनका आवंटन निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(क) युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य – प्राथमिकता –2
(ख) युद्ध में घायल सैनिकों के परिवार के सदस्य – प्राथमिकता – 3
(ग) भूतपूर्व सैनिक – प्राथमिकाता –5

16. विश्राम ग्रहों मे रहने की सुविधा

प्रदेश स्थित में 45 सैनिक विश्राम ग्रहों मे सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिकों के अल्प शुल्क देकर रहने की सुविधा प्राप्त है।

17. शिक्षा सम्बन्धी रियायत – शिक्षण शुल्क से मुक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें निम्नलिखित सैनिकों के बच्चों तथा पत्नियों की मंहगाई भत्ता शुल्क सहित शिक्षा शुल्क से पूरी छूट प्रदान की है–

(क) ऐसे कार्मिकों को जो विकलांग हो गये हो, लापता घोषित हुये हो अथवा मृत मान लिये गये हो प्रारम्भिक (प्राइमरी) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक।
(ख) ऐसे सेवारत सुरक्षा कार्मिक तथा अवर श्रेणियों (जूनियर कमीशन अधिकारी तथा अन्य रैंको के अधिकारी) के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा पत्नियों को जिनकी परिलब्धियां/आय स्त्रोत प्रतिवर्ष 9000/– रूपये से अधिक न हो प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल स्तर तक।

नोटः – रियायत पाने वाला बालक कक्षा में एक बार अनुतीर्ण हो जाने पर भी इसे प्राप्त करता रहेगा।

प्राधिकार : उत्तर प्रदेश संख्या – 1292/15–ई एस.डब्लू, 36/63 दिनांक 12 फरवरी 65–3121/15–डब्लू 3663/, दिनांक 23 66 तथा संख्या –227/15 (14) डब्लू/82, दिनांक 04 फरवरी 82.

1971 के भारत पाक युद्ध मे मारे गये अथवा विकलांग हुये सैनिकों के बालको को निम्नलिखित शिक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त रियायतें स्वीकृत की गयी है। ये रियायतें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्राइमरी कक्षा से लेकर डिग्री कक्षाओं तक अध्ययनरत बालकों को देय है–

(क) शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा सभी अन्य शुल्क दिये जाने से मुक्ति।
(ख) आवासीय विद्यालय तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में कुल छात्रावास शुल्क दिये जाने से मुक्ति।
(ग) पुस्तकों तथा लेखन – सामग्री सम्बन्धी व्यय की वापसी।
(घ) शिक्षा संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली बसों के सम्बन्ध में बस का किराया देने से मुक्ति।
(च) बस अथवा रेल का मासिक यात्रा –पत्रों (पासों) के सम्बन्ध में वास्तविक किराये की वापसी।

कमशः पेंज 6 पर देखे

प्राधिकार : उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र संख्या –ई / 4167–15–14 डब्ल्यू 6–1973 दिनांक 06 मार्च 1973

18. उत्तर प्रदेश के रक्षा सेवा के कार्मिको , जिन्हे वीर चक्र की श्रेणी का अलंकरण प्रदान किया गया हो के बालकों को प्राइमरी स्कूल से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेगी।

(क) बस के किराये सहित सभी प्रकार के शुल्क दिये जाने से छूट
(ख) स्कूल के समवेश (यूनिफार्म) पर व्यय करने से छूट
(ग) निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार छात्रावास शुल्क

जे.सी.ओ. (जूनियर कमीशण्ड आफीसर)	दस रूपये प्रतिमाह
एन.सी.ओ. (नान कमीशण्ड आफीसर)	सात रूपये प्रति मास
अन्य पदाधिकारी	पॉच रूपये प्रति मास
एन.सी.ई. (नान कम्बाटेंट्स इनरोल्ड)	तीन रूपयें प्रति मास

प्राधिकार शासनादेश संख्या – ई / 2292 / 15 (14) / डब्ल्यू 8 / 1971 दिनांक 17 जनवरी 1972

19. उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ – यह कानपुर रोड पर रमणीय वातावरण में स्थित है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला एक आवासीय पब्लिक स्कूल है जो भारतीय विद्यालय प्रमाण – पत्र परीक्षा परिषद (काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन) नई दिल्ली से सम्बद्ध है। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश के चयनित किये छात्रों कों एन.डी.ए. मे प्रवेश के लिये तैयार करता है। इस स्कूल में प्रवेश राज्य के कई स्थानों में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस स्कूल में $10^{1/2}$ से 12 वर्ष की आयु वर्ग के कक्षा छह उत्तीर्ण लड़कों को प्रवेश दिया जाता है।

20. उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि से सहायता

(क) शैक्षिक अनुदान

उ.प्र. के भूतपूर्व सेनिकों के बच्चों को निधि द्वारा से 01 अप्रैल 1991 से निम्नलिखित दर से वार्षिक शैक्षिक अनुदान देय है। इसके लिये निर्धारित प्रपत्र पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से आवोदन पत्र भेजना होता है–

सामान्य शिक्षा

कम सं.	कक्षा	पिछली परीक्षा में प्राप्त कम से कम अंक	वार्षिक अनुदान की दर
1	7 तथा 8	48%	रू0 200 / –
2	9 तथा 10	48%	रू0 300 / –
3	11 तथा 12	50%	रू0 400 / –
4	बी.ए. तथा बी.काम.	50%	रू0 500 / –
5	बी.एस.सी., बी.एड., तथा एल.एल.बी	50%	रू0 600 / –
6	एम.ए. तथा एम.काम.	50%	रू0 600 / –
7	एम.एस.सी., एम.एड. तथा एल.एल.एम.	50%	रू0 700 / –
8	पी.एच.डी., एल.एल.डी. तथा एम.फिल.	60%	रू0 3600 / –

कमशः पेंज 6 पर देखे

प्राविधिक शिक्षा

1	सार्टीफिकेट	50%	रू0 500/–
2	डिप्लोमा कोर्स	50%	रू0 900/–
3	डिग्री कोर्स	50%	रू0 1200/–

(ख) एक्स ग्रेशिया ग्रान्ट

इस योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रू0 1000/– तक आर्थिक सहायता प्रति पात्र प्रति वर्ष प्रदान की जाती है। भूतपूर्व सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु रू0 10,000/– तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ग) चिकित्सा सहायता/व्यय की प्रतिपूर्ति

इस निधि से प्रदेश के ऐसे भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवाओं को जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे की हो सहायता दी जाती है। साधारण बीमारी से लिये प्रत्येक पात्र को रू0 300/– तक की सहायता एक वर्ष में देय है।

(घ) क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के 9 माह तक विशेष भोजन पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ड) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनकी समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रू0 2000/– से कम है, को उनके द्वारा विशेष चिकित्सा पर जिसकी सुविधा सैनिक अन्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नही है, किये गये खर्चे का 75 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40,000/–) मे प्रति पूर्ति करने का प्राविधान है।

(च) ब्याज में छूट

प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को अपना निजी व्यवसाय चलाने हेतु बैंक से ऋण लेने पर, निम्नलिखित दर से निधि द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है–

(क) रू0 10,000/– तक ऋण पर – 8% प्रति वर्ष

(ख) रू0 10,000/– से ऊपर एवं रू0 1,00,000/– तक के ऋण पर – 10% प्रति वर्ष

(छ) प्री कम पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग

इस योजना में सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ज) क्वीन मेरी टेक्निकल स्कूल पुणे में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति

प्रदेश के अपंग भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार हेतु क्वीन मेरी टेक्निकल स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रवेश लेने पर प्रति पात्र रू0 600/– प्रति माह की दर से अनुरक्षण चार्ज देय है।

21. उ.प्र.सैनिक कल्याण निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्योजन में सहायता

(क) भूतपूर्व सैनिकों का प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा शोषण रोकने तथा उनको समुचित वेतन पर रोजगार देने हेतु इस सेवा का आयोजन किया गया है। निगम द्वारा प्रदेश में स्थित किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान/औद्यौगिक संस्थान को उचित एवं सन्तोषजनक मूल्य पर सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का प्रबन्ध है।

(ख) टेक्निकल सर्विसेज

निगम द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर प्रदेश के सार्वजनिक/निजी व्यापारिक अथवा औद्यौगिक संस्थाओं को उचित एवं संतोषजनक मूल्य पर सुरक्षा सेवा कराने का प्रबन्ध है।

22. शहीदों के परिवार के लिये विशेष योजना

(क) कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता (केवल आपरेशन विजय के लिये।)

क्रमशः पेंज 8 पर देखे

(अ) रू0 10 लाख प्रति पात्र शहीद की पत्नी/परिवार को एक मुश्त आर्थिक सहायता दी गई है।
(ब) पेंशन प्रति माह रू0 5,000.00 प्रति शहीद की पत्नी तथा रू0 2,500.00 प्रति शहीद के माता पिता को दी जाती है।
(स) कारगिल युद्ध अपंग सैनिक जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत है को रू0 2,00,000/– प्रति पात्र तथा जिसकी अपंगता 50 प्रतिशत से कम है उनको रू0 1,00,000/– प्रति पात्र की दर से एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
(द) कारगिल शहीद की पत्नी तथा युद्ध अपंग सैनिकों को ग्रीन कार्ड दिये गये।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या– 1781/48–99–81 (विविध)/99टी.सी.–11 दिनांक 19 अगस्त 1999

(ख) आपरेशन पवन तथा मेघदूत के शहीद सैनिकों की पत्नी/आश्रितों को रू0 15,000/– प्रति शहीद परिवार तथा रू0 10,000/– प्रति पात्र की दर से एक मुश्त आर्थिक सहायता दी गई है।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या – दिनांक 07 अक्टूबर 1982

प्राधिकार : उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं. –1197/48–99–91(वि)/99टी.सी. दिनांक 08 जुलाई 1999

23. शहीदों की पत्नियों को ग्रहकर से मुक्ति प्रदान करना

शासन द्वारा देश की सुरक्षा में केवल शहीद हुये सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व वाले आवासीय भवन जिसमें वह स्वयं निवास कर रही हो को ग्रहकर से छूट प्रदान की गयी है। वह छूट केवल नगर निगमों के अन्तर्गत ही दी जा रही है।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या –1973/नौ–9–200–3–24 एम/89 दिनांक 23 अक्टूबर 2003

24. उ.प्र. में भूतपूर्व को सेवायोजित करने के लिये प्रदेश में समूह 'ग' तथा 'घ' में 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। (यह आरक्षण केवल उन पदों पर है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर है।)

प्राधिकारः– शासनादेश संख्या– 1973/नौ–9–200–3–24 एम/89 दिनांक 23 अक्टूबर 2003

25. सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट–

सेना में की गई कुल सेवा और उसके अतिरिक्त तीन वर्ष

प्राधिकारः– संयुक्त सचिव नियुक्ति (ख) विभाग उ.प्र. शासन का पत्र संख्या–5/1/66– नियुक्ति (ख) दिनांक 16 मार्च 1970.

26. **शैक्षिक अर्हता में छूट –**

सेना में की गई 15 वर्ष की सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्ति हुये भूतपूर्व हुये भूतपूर्व सैनिकों को स्नातक के समकक्ष माना गया है।

प्राधिकार :– कार्मिक अनुभाग –2 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या–15/5/1986–का./2/92 दिनांक 28 अप्रैल 1992

27 इन्दिरा आवास योजना शहीद/भूतपूर्व सैनिक की पत्नी को मकान बनाने हेतु प्रति पात्र व्यक्ति 20,000/– अनुदान दिया जाता है।

प्राधिकार :– उ.प्र. सरकार के शासनादेश सं. ग्राम विकास अनुभाग–5 उ.प्र. शासन के प.सं. –1735(1)/38–5/96/650/96 दिनांक 02 जून 1986 (ख) उ.प्र. ग्रामीण विकास परिषद बी–1/118 विश्वास खण्ड गोमती नगर लखनऊ के पत्र संख्या–4248/प्रा.सा.–1–156 (वि)/98 दिनांक 16 अक्टूबर 1998

क्रमशः पेंज 9 पर देखे

28 सैनिकों/सैन्य अधिकारियों के लम्बित राजस्व वादों का उनकी छुट्टी की अवधि में त्वरित एवं समय पर निस्तारण के सम्बन्ध में

यदि कोई सैनिक या सैन्य अधिकारी अवकाश लेकर अपने ग्रह जनपद से जाता हैं तो संबंधित अधिकारी उनके समस्त वादों की सुनवाई हेतु नजदीकी तिथियां निर्धारित करेंगे। यदि आवश्यक हो तो दिन–प्रतिदिन सुनवाई की व्यवस्था भी की जा सकती है। हर सम्भव प्रयास हो कि उनके अवकाश के दौरान ही लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण कर दिया जाये।

प्राधिकार :– उ0प्र0 राजस्व अनुभाग –12 विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 444/1/12–05–241431/2004 दिनांक 09 अप्रैल 2005.

29 युद्ध मे शहीद हुये सैनिकों/अधिकारियों के वारिसों के पक्ष में विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित अभिलेखो पर स्टाम्प शुल्क में छूट :

युद्ध में शहीद हुये सैनिकों/अधिकारियों के वारिसों के पक्ष में शासन की संस्थाओं विकास प्राधिकरण आदि द्वारा निष्पादित अभिलेखो पर स्टाम्प शुल्क में छूट उपलब्ध है।

प्राधिकर :– सरकारी गजट उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (स) परिशिष्ट आदेश लखनऊ मंगलवार 23 नवम्बर 2004 अग्रहायण 2 1926 शक सम्वत् उ0प्र0 सरकार कर एवं निबधन अनुभाग –5 संख्या : क.नि. 5–5593/11–2004–500 (84)/2003 दिनांक 23 नवम्बर 2004

30. उ.प्र. पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान इसकी स्थापना 10 दिसम्बर 1963 को मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष में जमा धन में से रू. 1.5 करोड़ की धनराशि से की गयी थी। यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है जिसके Settler मा. मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश है।

उद्देंश्य :– संस्थान का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आग्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी/आतंकवाद की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका मे आपरेशन पवन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख–रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैवी–आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पी.ए.सी./विषेश अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस /पी.ए.सी./विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों एवं उनके आश्रितों जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो, की भलाई के लिये योजनाये संचालित करना है।

लाभार्थी :–उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों/पति/पत्नी/माता/पिता/बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा मॉ–बाप के न होने पर पूर्णतया आश्रित हो को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

संचालित योजनायें:– उपरोक्त पैरा–2 मे वर्णित घटनाओं/परिस्थितिओं में सैन्यबल/पुलिस एवं पी.ए.सी. कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवा निवृत्ति होने की दशा में अनुग्रह अनुदान प्रदान करना।

(क) जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता।
(ख) लड़कियों के विवाह में सहायता।
(ग) विशेष चिकित्सा जैसे कैंसर प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।
(घ) लाभ –भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता।

इस संस्थान द्वारा युद्ध/सीमान्त झड़पों में शहीद/सैनिकों के आश्रितों को भी एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है अधिकारियों को रू0 1,50,000/– तक एवं अन्य सैन्य अधिकारियों को रू0 90,000/– एवं सेवा मुक्त युद्ध अपंग अधिकारी को रू0 60,000/– एवं अन्य को 45.000/– सहायता दी जाती है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) :

सेवामुक्त भूतपूर्व सैनिकों को अन्य सेवामुक्त केन्द्र/राज्य कर्मचारियों की भांति सेवा उपरान्त सस्ते/सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार के अधीन ई.सी.एच.एस. की योजना प्रारम्भ की गयी है।

क्रमशः पेंज 10 पर देखे

उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र सभी भूतपूर्व सैनिक केवल सेना चिकित्सालयों में ही मुफ्त सेवा का लाभ प्राप्त नही करेगें वरन् यह सभी भूतपूर्व सैनिक राज्य के चिकित्सा प्रतिष्ठानों/प्राइवेट अस्पताल आदि मे चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेगे जिन्हे ई.सी.एच.एस. के नियत्रणाधीन अधिकृत किया गया है।

चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु अर्हता

1 वे भूतपूर्व सैनिक जो सेना की सेवा से पेंशन/विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे है।

2 वे विधवायें जो सैनिक की पेंशन प्राप्त कर रही है।

3 वे आश्रित जिनकी मासिक आय रू0 2500/– प्रति माह से कम हो।

4 . वे सैनिक पुत्र जो 25 वर्ष से कम आयु के हो।

5. वे सैनिक पुत्रियॉ जो कि अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा हो।

6. विकलांग सैनिक सन्तान सम्पूर्ण जीवनकाल तक।

7. सैनिक माता–पिता जिनकी मासिक आय 1,500.00 से कम हो।

लाभान्वित होने वाले मरीज

1. सभी प्रकार की ज्ञात बीमारियों के लियें।
2. सभी प्रकार की वास्तविक बीमारियों के लिये सुविधा की सीमा निर्धारण नही है
3. लाभ प्राप्त करने के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित नही है।
4. सम्पूर्ण जीवनकाल के लिये एक मुश्त चिकित्सा शुल्क जमा किया जाना ।
5. आश्रित माता–पिता एवं सन्तान को भी उक्त सुविधाये उपलब्ध करायी जायेगी।
6. पारिवारिक वातावरण के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना ।
7. दिनांक 01 जनवरी 1996 से पूर्व सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों/विधवाओं को एक मुश्त जमा की जाने वाली धनराशि नही देनी होगी।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, सीतापुर (उ0प्र0)
वर्ष – 2008
भू.पू. सैनिकों के आश्रित बच्चों को 0 Level कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराया गया

क्रम सं0	आश्रित का नाम	सम्बन्ध	भू.पू. सैनिक का नाम
1.	संजीव कुमार	पुत्र	भू.पू.सै. हव. बी.बी. सिंह
2.	कु. प्रतिमा सिंह	पुत्री	भू.पू.सै. सि.डी.पी. सिंह
3.	सागर मिश्रा	पुत्र	भू.पू.सै. एल.डी.एस.के. मिश्रा
4.	संतोष सक्सेना	पुत्र	भू.पू.सै. स्व. सि. आर.बी. सक्सेना
5.	संयोगिता रस्तोगी	पुत्री	भू.पू.सै. प्रभुदयाल
6.	हरिदत्त त्रिपाठी	पुत्र	भू.पू.सै. गनर लालता प्रसाद
7.	रूबीना खान	पुत्री	भू.पू.सै. सिपाही अयूब खान
8.	रीतेश तिवारी	पुत्र	भू.पू.सै. सिगनल मैन सुन्दर लाल
9.	स्वाती मिश्रा	पुत्री	भू.पू.सै. एल.डी.एस.के. मिश्रा
10.	शशि कान्त तिवारी	पुत्र	भू.पू.सै. सूबेदार आर.एस. तिवारी
11.	अमित श्रीवास्तव	पुत्र	भू.पू.सै. हव. हरेराम
12.	गया प्रसाद तिवारी	पुत्र	भू.पू.सै. सूबेदार आर.एस. तिवारी
13.	पूनम सिंह	पुत्री	भू.पू.सै. उमेश कुमार सिंह
14.	बीना शुक्ला	पुत्री	भू.पू.सै. हव. सत्य नरायन शुक्ला
15.	रितु अवस्थी	पत्नी	भू.पू.सै. डी.के. अवस्थी
16	तपन कुमार सिंह	पुत्र	भू.पू.सै. के.के सिंह
17.	इन्द्रेश कुमार सिंह	पुत्र	भू.पू.सै. कै.आर.के. सिंह

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, सीतापुर (उ0प्र0)

वर्ष 2007– शून्य

सैनिक विधवाओं की पुत्रियों की शादी तथा अन्य सहायता

वर्ष 2008

क्रम सं.	नाम		भुगतान तिथि
1.	श्रीमती ऊषा देवी	रू. 10,000/–	1.1.2008
2.	श्रीमती प्रिया बाला	रू. 10,000/–	7.8.2008
3.	श्रीमती शिप्रा सरकार	रू. 10,000/–	1.11.2008
	कुल————————	30,000/–	

वर्ष– 2009

क्रम सं.	नाम			भुगतान तिथि
1.	हरजीत सिंह	रू. 3000/–	सेना मेडल	1.1.2009
2.	श्रीमती रूपा कुवर	रू. 10,000/–	पुत्री की शादी हेतु	9.2.2009
3.	श्रीमती आशा देवी	रू. 10,000/–	पुत्री की शादी हेतु	23.5.2009
	कुल———————	23,000/–		

वर्ष– 2009– छात्रवृत्ति

क्रम सं.	नाम	धनराशि
1.	कुमारी सुषमा सिंह	700/–
2.	रोहित सिंह	500/–
3.	अवनीश त्रिवेदी	500/–
4.	सुमित कुमार	400/–
5.	कु0 अंजली दीक्षित	500/–
6.	कुमारी वषिता	750/–
7.	कु0 प्रतिमा सरकार	400/–
8.	जीत रंजन सरकार	600/–
9.	कुमारी नेहा वर्मा	400/–
10.	अमित श्रीवास्तव	1000/–
11.	अवनीश कुमार त्रिवेदी	2500/–
	कुल —————————————————	8200/–

ftyk lSfud dY;k.k ,oa iquokZl] lhrkiqj ¼m0iz0½

o”kZ &2007

HkwriwoZ lSfud ,oa mudh fo/kokvksa dks vkfFkZd lgk;rk

क्रम सं.	नाम	धनराशि
1	भूतपूर्व भगौती प्रसाद	500 / —
2	भूतपूर्व सैनिक रामपाल	500 / —
3	भूतपूर्व सैनिक आयूब खॅा	500 / —
4	श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी	500 / —
5	श्रीमती सुखरानी	500 / —
6	श्रीमती राम देवी	500 / —
7	भूतपूर्व सैनिक विश्वम्भर सिंह	500 / —
8	श्रीमती राजरानी	500 / —
9	श्रीमती कबुतरा देवी	500 / —
10	भूतपूर्व सैनिक बाबूराम	500 / —
11	श्रीमती शिवपती	500 / —
12	श्रीमती धनमाला	500 / —
13	भूतपूर्व सैनिक बदलू	500 / —
	कुल	6500 / —

वर्ष —2008—शून्य

दिनांक : 1.1.2009 से 30.9.2009

क्रम सं.	नाम	धनराशि
1	भूतपूर्व सैनिक चेतराम	2500 / —
2	भूतपूर्व सैनिक बिन्दु प्रकाश सिंह	2500 / —
3	श्रीमती जय देवी	2500 / —
4	भूतपूर्व सैनिक छिद्दू	1500 / —
5	श्रीमती ऊषा देवी	1500 / —
6	श्रमती विजय रानी	1500 / —
7	श्रीमती रामपती	2500 / —
8	श्रीमती आशा देवी	2500 / —
9	भूतपूर्व सैनिक काशी राम	1500 / —
10	श्रीमती मुन्नी	1500 / —
11	श्रीमती फूलकली	1500 / —

12	श्रीमती वहीद कैसर	600/-
13	श्रीमती शलीमुन	600/-
14	श्रीमती रामकली	600/-
15	श्रीमती फूलकली	600/-
16	श्रीमती जमीला खातून	600/-
17	श्रीमती रामेश्वरी देवी	600/-
18	श्रीमती इश्वर कोर	600/-
19	श्रीमती लल्ती	600/-
20	भूतपूर्व सैनिक प्रेम नरायण	600/-
21	भूतपूर्व सैनिक बच्चू	600/-
22	भूतपूर्व सैनिक पुत्तू लाल	600/-
23	श्रीमती बडी बिटिया	1000/-
	कुल	**29100/-**

ftyk lSfud dY;k.k ,oa iquokZl] lhrkiqj ¼m0iz0½
o"kZ&2007
HkwriwoZ lSfudksa ds vkfJrksa dk dEI;wVj izf'k{k.k

क्रम सं.	विद्यार्थी का नाम	सम्बन्ध	पति/पिता का नाम
1.	अखिलेश कुमार	पुत्र	नायक गुरदीन
2.	रवि कुमार दुबे	पुत्र	गनर स्व0 आन्नद कुमार दुबे
3.	विजय कुमार वर्मा	पुत्र	नायक लल्लू राम वर्मा
4.	कुमारी फरतनाज	पुत्री	सिपाही अयूब खॉ
5.	कुमारी अन्जू दुबे	पुत्री	गनर आन्नद कुमार दुबे
6.	अजय कुमार पाल	पुत्र	सिपाही बाबू राम
7.	उदय भानु सिंह	पुत्र	हव0 विष्णु कुमार सिंह
8.	कुमारी पूनम द्विवेदी	पुत्री	नायक आर.सी. द्विवेदी
9.	कुमारी रूची	पुत्री	नायक आर.सी. द्विवेदी
10.	समीम	पुत्री	सेपर मस्ताख
11.	श्रीमती कंचन रस्तोगी	पुत्री	हव0 प्रभु दयाल
12.	कुमारी नेहा	पुत्री	हव0 प्रभु दयाल
13.	श्रीमती रितु अवस्थी	पुत्री	गनर दिनेश अवस्थी
14.	रंजीत सिंह	पुत्र	गनर उमेश कुमार सिंह
15.	धीरेश कुमार मिश्रा	पुत्र	नायक अश्वनी कुमार मिश्रा
16.	मोहित कुमार शुक्ला	पुत्र	गनर देवेन्द्र शुक्ला
17.	अनुज कुमार सिंह	पुत्र	गनर यू.के. सिंह
18.	अमित श्रीवास्तव	पुत्र	हव0 हरेराम
19.	सागर मिश्रा	पुत्र	गनर सन्तोष कुमार मिश्रा
20.	शुषांग मिश्रा	पुत्र	गनर संतोष कुमार मिश्रा
21.	कुमारी रूची	पुत्री	गनर दिनेश अवस्थी
22.	निकेत	पुत्र	हव0 पी. दयाल
23.	स्वाती मिश्रा	पुत्री	गनर एस.के. मिश्रा
24.	सुभाष कुमार मिश्रा	पुत्र	ला.नायक आदित्य कुमार मिश्रा
25.	रूपाली शुक्ला	पुत्री	हव. आर. एस. शुक्ला
26.	कु. संयोगिता रस्तोगी	पुत्री	हव0 प्रभु दयाल
27.	कु. पूनम सिंह	पुत्री	गनर यू.के. सिंह
28.	नेहा खान	पुत्री	सिपाही अयूब खॉ
29.	कु. नसीम फातिमा	पुत्री	सेपर मुस्ताख
30.	रवि कुमार कन्नौजिया	पुत्र	हव0 स्व0 रघुवीर प्रसाद
31.	श्रीमती माण्डवी मिश्रा	पत्नी	गनर संतोष कुमार मिश्रा
32.	कु. वसीम	पुत्री	सेपर मुस्ताख
33.	शशीकान्त तिवारी	पुत्र	नायब सू0 राम सेवक तिवारी
34.	संतोष कुमार सक्सेना	पुत्र	नायक राज बहादुर सक्सेना
35.	——	स्वयं	देशराज सिंह

36.	सपना अवस्थी	पुत्री	गनर दिनेंश अवस्थी
37.	कु. सुनीता सक्सेना	पुत्री	नायक आर.बी. सक्सेना
38.	कु. बबिता	पुत्री	नायक राज बहादुर सक्सेना
39.	नवल किशोर	पुत्र	ए.एल.डी कमल किशोर मिश्रा
40.	गया प्रसाद तिवारी	पुत्र	ए.एल.डी. राम सेवक तिवारी

ftyk lSfud dY;k.k ,oa iquokZl] lhrkiqj ¼m0iz0½ o”kZ&2007

HkwriwoZ lSfudksa ds vkfJrksa dk flykbZ&d<+kbZ izf’k{k.k

क्रम सं.	विद्यार्थी का नाम	सम्बन्ध	पति/पिता का नाम
1.	कुमारी पूनम सिंह	पुत्री	उमेश कुमार सिंह
2.	श्रीमती रमन शर्मा	पत्नी	के.वी. शर्मा
3.	श्रीमती नीलम शर्मा	पत्नी	संजीव कुमार शर्मा
4.	श्रीमती प्रवीना त्रिपाठी	पत्नी	एस.डी. त्रिपाठी
5.	कुमारी प्रीती श्रीवास्तव	पुत्री	सतीश चंद्र श्रीवास्तव
6.	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव	पत्नी	एस.सी. श्रीवास्तव
7.	श्रीमती शिव दुलारी देवी	पत्नी	आर.सी. द्विवेदी
8.	कु0 पूनम	पुत्री	आर.सी. द्विवेदी
9.	कुमारी नेहा रस्तोगी	पुत्री	प्रभु दयाल
10.	श्रीमती उत्तेजना सिंह	पत्नी	उमेश कुमार सिंह
11.	श्रीमती कंचन रस्तोगी	पत्नी	प्रभु दयाल
12.	कुमारी बबिता सक्सेना	पुत्री	आर.वी. सक्सेना
13.	कुमारी सुनीता सक्सेना	पुत्री	आर.वी. सक्सेना
14.	कुमारी स्वाती मिश्रा	पुत्री	संतोष कुमार मिश्रा
15.	श्रीमती गायत्री मिश्रा	पत्नी	कमल किशोर मिश्रा
16.	श्रीमती रितु अवस्थी	पत्नी	दिनेश अवस्थी
17.	कुमारी रूचि अवस्थी	पुत्री	दिनेश अवस्थी
18.	कुमारी नसीम फातिमा	पुत्री	स्व0 मुस्ताख
19.	कुमारी रूचि	पुत्री	आर.सी. द्विवेदी
20.	कुमारी संयोगिता रस्तोगी	पुत्री	प्रभु दयाल
21.	कुमारी वसीम फात्मा	पुत्री	स्व0 मुस्ताख
22.	कुमारी फरहनास	पुत्री	अयूब खॉ
23.	श्रीमती जहरीना खॉन	पत्नी	अयूब खॉ
24.	कुमारी ज्योती श्रीवास्तव	पुत्री	सतीश चंद्र श्रीवास्तव
25.	कुमारी समीम फात्मा	पुत्री	स्व0 मुस्ताख
26.	कुमारी रूपाली शुक्ला	पुत्री	राम सुख शुक्ला
27.	प्रिया शुक्ला	पुत्री	देवेन्द्र नाथ शुक्ला
28.	कुमारी रूबीना खॉन	पुत्री	अयूब खॉ
29.	कुमारी सपना अवस्थी	पुत्री	दिनेश अवस्थी
30.	कुमारी रिंकी सिंह	पुत्री	वी.के. सिंह

31.	श्रीमती मान्डवी मिश्रा	पत्नी	संतोष कुमार मिश्रा
32.	कुमारी नेहा खॉन	पुत्री	अयूब खॉ
33.	श्रीमती शुभा सिंह	पत्नी	यू.पी. सिंह
34.	श्रीमती नीलम यादव	पत्नी	स्व0 मनोज कुमार यादव

OFFICE OF THE DISRICT SOLDIERS WELFARE & RESETTLEMENT, SITAPUR (U.P.)

General Information for District Website

Sr No.	PLEASE USE ARIAL FRONT WITH POINT SIZE 10	
1.	Department Name	Zila Sainik Kalyan & Punarvas Sitapur
2.	Office Address	Lalbagh, front of Nagarpalika Market STP
3.	Office Phone No.	05862-242055
4.	Officer Name	Col A.K. Pandey (Retd)
5.	Officer Designation	District Soldiers welfare & Resettlement officer STP
6.	Officer Address	Zila Sainik Kalyan & Punarvas STP
7.	Officer Phone No. (Res.)	05862-242055
8.	Officer Mobile No.	---------
9.	PIO Name (Public Information officer)	Col A.K. Pandey
10.	PIO Designation	District Soldiers welfare & Resettlement officer STP
11.	PIO Address	As per sl. No. 6
12.	PIO Phone N0. (Res.)	As per sl. No. 7
13.	PIO Phone No. (Mob.)	As per sl. No. 8
14.	Procedure for filling RTI Application	After deposited Rs. 10/- with prescribed application
15.	No. of sanctioned Posts in the office	Officer -1 Head Clerk- 1 Jr. Clerk-2 Welfare worker-1 Peon -1 Chokidar-1 Sweeper-1
16.	No. of vacant Post in the office	Jr. Clerk-1 Sweeper-1
17.	List of Beneficiaries for last two	List of Beneficiaries from 1.1.2007

	years	to 30.9.2009 Attached (As Appx A)
18.	List of employees	Attached (As Appx B)
19.	Description of the work	Welfare of Ex-Serviceman
20.	Brief Description of departmental Schemes	Attached (As Appx C)

ZILA SAINIK KALYAN AND PUNARVAS SITAPUR (U.P)

List of officer and class III and IV class employees

1. Col. Ajay Kumar Pandey (Retd.),Distt.Soldiers Welfare and Resettlement officer, Sitapur
2. Sri Satish Chandra Srivastava,Head Clerk (Senior clerk)
3. Sri Ram Prasad, (Junior Clerk)
4. Sri Ram Sagar Singh, (Welfare Worker)
5. Sri Umesh Kumar Singh, (Peon)
6. Sri Anurag Singh, (Chaukidar)

NOTE-: One Junior Clerk Post is vacant w.e.f 01-09-2001

One Sweeper Post is vacant w.e.f 30-05-2002

Total Sanctioned Post ------ 08

Vacant Post ----- 02

Filled Post ----- 06